Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मनोज चैचाणी		
रस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र	बनाम	भैरूलाल चैचाणी व अन्य
	नं0 07	सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक .03.2024		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन हाजिर होकर अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस करने का आदेश दिया गया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस प्रार्थना–पत्र की गई। हमने अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के मध्य स्थित शामलाती अविभाजित ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 4266 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4267 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4271 रकबा 1.2013 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4272 रकबा 0.1012 हैक्टयर भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 1.4289 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमें 1/3 प्रार्थी का हिस्सा दर्ज है व 2/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 का है। 1/3 हिस्सा रजिस्टर्ड उपहार पत्र के जरिये प्राप्त होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसका मौके पर विभाजन किया हुआ नहीं है इसलिये पक्षकारान के मध्य विवाद व लडाई झगडा होता रहता है।

उक्त वर्णित भूमि शामलाती खातें में दर्ज होकर अविभाजित है। विपक्षी संख्या 01 अन्य लोगों के बहकावें में आकर उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये ही प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि को विपक्षी संख्या 01 द्वारा अन्य व्यक्तियों को रहन बय बक्षीस के जरिये अन्तरित करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 को दिनांक 29.02.2024 को उक्त भूमि पर माप व सीमाकंन कर विभाजन हेतु निवेदन किया तो विपक्षी संख्या 01 ने मना कर दिया व विपक्षी संख्या 01 ने दिनांक 02.03.2024 को प्रार्थी को मौके से बेदखल करने व भूमि को अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने व बेदखल करने पर आमादा है।

अतः प्रार्थी के पक्ष में विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 4266 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4267 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4271 रकबा 1.2013 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4272 रकबा 0.1012 हैक्टयर भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 1.4289 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के 1/3 हिस्से के उपयोग–उपभोग व काश्त करने पर किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे, भूमि को अन्तरण नहीं करें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

हमनें वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। उक्त वादग्रस्त आरायजियात प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के शामलाती व अविभाजित होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है। विपक्षीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी को अन्य को विक्रय/अन्तरण कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निवेदन को एक तरफा अंत रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू अभि निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 4 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4267 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आरा नम्बर 4271 रकबा 1.2013 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4272 रकबा 0.10 हैक्टयर भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 1.4289 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी 1/3 हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध अन्त अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षी संख्या प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में बाधा व रूकावट उत्प नहीं करें, भूमि को अन्तरण नहीं करें। आगामी तारीख पेशी दिनांक 8/4/ 2024 तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें। रजिस्टर्ड ए.डी. प्रोसेस सम्मन पेश करने पर जारी करें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 8/ 04/2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

8/4/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साधिक आदेश
दिनांक 19/4/24 को पेश हो।

प्रति विपक्षी सं. 1 एडवोकेट ने UT लि.
8/4/24

19/4/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साधिक आदेश
दिनांक 19/7/24 को पेश हो।

19/7/24

पत्रावली पेश हुयी वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान में मध्य राजीनामा हो चुका है अतः प्रार्थी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का विरोध के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा